



CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.

1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)

प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010

फोन/फैक्स : 0522-2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई-मेल : ceglko.up@gmail.com

CEG/P/9/SI/485/2024
16.3.2024

सेवा में,

- 1- मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल, 30प्र0।
- 2- जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, 30प्र0।

विषय:- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से खेल विभाग की सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-30/2022/1313/78-2-2022-ई-268634 दिनांक 17.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार की जो भी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को सीधे इन्टरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। तत्क्रम में खेल विभाग के पत्रांक-3861/2023-24 दिनांक 09.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खेल विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

- 2- उल्लेखनीय है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम, 30प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित है, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 45 विभागों की 314 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसका अनुश्रवण निरंतर उच्च स्तर पर किया जा रहा है।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में खेल विभाग की निम्न सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से पोर्टल पर इंटीग्रेटेड रूप में आम जनमानस को उपलब्ध करा दी गयी हैं:-

क्र०	सेवा का नाम
1	प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को शासनादेश में अनुमन्य व्यवस्था के अनुरूप मासिक वित्तीय सहायता
2	राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को शासनादेश में अनुमन्य व्यवस्था के अनुरूप पुरस्कार राशि
3	शासन द्वारा निर्धारित खेलों में खिलाड़ियों को लक्ष्मण अवार्ड एवं रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड
4	अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अनुसार राजपत्रित के पदों पर नियुक्ति

4- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त संदर्भित सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने पर विभाग द्वारा पत्रांक-3861/2023-24 दिनांक 09.01.2024 के माध्यम से सहमति प्रदान की गयी है।

5- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में खेल विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही उसी तरह की जायेगी, जिस तरह वे वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल (https://khelsathi.in/application/e_district) पर कर रहे हैं।

6- उपरोक्त सेवार्ये आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-19/2020/1085/78-2-2020-34आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) में निर्धारित यूजर चार्ज की शुल्क धनराशि ₹0 30.00 जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस से प्राप्त की जायेगी, जोकि विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का अंश विभाजन निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (₹0)				
		डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूजर चार्ज (₹0)
1	विभाग की सेवा	15	03	10	02	30

7- उक्त के क्रम में आवेदक के अनुरोध पर जन सेवा केन्द्रों के अधिकृत जन सेवा केन्द्र संचालक (वी.एल.ई.) द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (<https://edistrict.up.gov.in>) के माध्यम से खेल

विभाग के पोर्टल (https://khelsathi.in/application/e_district) पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुये सेवा प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Neha Jain

Date: 16-03-2024 18:18:18 (नेहा जैन)

राज्य समन्वयक

संलग्नक-यथोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, खेल विभाग, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवाओं के सम्बन्ध में विभागीय शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें तथा उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल से भी इंटीग्रेट करायें।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. श्री शैलेश श्रीवास्तव, सीनियर डायरेक्टर, आई.टी., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा खेल विभाग की सेवाओं को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करते हुये आम जनमानस को सेवार्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. मै० मार्गसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, लखनऊ।